2025/412

आदेश
02.07.2025

# फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़

सतवीर आदि बनाम अकिंत आदि

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 92 वर्ष 2025

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये |
|---|---|---|
| 13.06.2025 | प्रार्थीगण सतवीर आदि की तरफ से वकील श्री अर्जनलाल वर्मा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थीगण के वकील को एक पक्षीय सुनने एवं प्रस्तुत शपथ पत्र तथा संलग्न दस्तावेज के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि चक 33 आरडब्ल्यूडी के खाता सं. 92/79 के प.नं. 34/7(20) कि.नं. 11/2, 12 ता 17, 18/2, 19/2, 20/3, 21/1, 22, 23/2, 24, 25 की 3.618 है., प.नं. 34/8(35) कि.नं. 2, 3/2, 4, 5, 6/1, 7/2, 8/2, 9, 12 ता 14, 17 ता 19, 22 ता 24 की 4.086 है. भूमि की भूमि में अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के हिस्सा के रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखें व रहन बैय करने से निषेद्ध रहें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ–साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 14.07.2025 को पेश हो।<br>सहायक कलक्टर एवं<br>उपखण्ड अधिकारी<br>रावतसर | |
| 02/7/2025 | वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। प्रकरण से संबंधित मूल वाद राजीनामा के आधार पर निर्णित हो चुका है। अब प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट में आगे किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र मौजूदा स्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से [illegible] दाखिल दफ्तर हो।<br>सहायक कलक्टर एवं<br>उपखण्ड अधिकारी<br>रावतसर | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.07.24 15:51:45 IST
Reason: SelfAttested